


## प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

### **“Investigation of Organized Crime”**

**दिनांक 19.12.2016 से 23.12.2016**

**राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।**



Sitting Row L to R = Bhupendra Soni, Surendra Bangarwa, Mithu Lal Meghwali, Manoj Samariya, Rajendra Choudhary Dy.S.P, Rajeev Dasot, IPS (Addl DGP Cum Director), Surendra Pancholi, Bhanwar Lal, RamKishan, Karni Singh, Nisha Bhatnagar  
Ist Row L to R = Sahi Ram, Inder Lal Sharma, Narendra Singh Rathore, Rama Shanker Bhatra, Sharwan Kumar Pathak, Laxman Singh, Bhupesh Sharma, Roop Lal Meena, Hari Singh, Dharambeer Singh, Jaiprakash Jhajharia, Syed Sharif Ali  
IInd Row L to R = Narpat Ram, Lal Singh Yadav, Narayan Singh, Jitendra Singh, Krishan Kumar, Nand Singh, Vijaya Bahadur Singh, Gurmail Singh, Shri Ram Pareek, Khamma Ram, Rajendra Kumar Sharma

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 19.12.2016 से 23.12.2016 तक “**Investigation of Organized Crime**” विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत, आई.पी.एस. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 31 पुलिस अधिकारियों जिसमें 08 निरीक्षक पुलिस, 22 उप निरीक्षक व 01 सहायक उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री अशोक गुप्ता, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), आयुक्तालय जयपुर ने संगठित अपराधों का परिचय देते हुए इनके कारण, कार्यप्रणाली और समाधान पर विस्तृत व्याख्यान दिया तथा विभिन्न कानून टाडा, पोटा, मकोका के प्रावधानों के संबंध में भी चर्चा की। अगले सत्र में श्री प्रमेन्द्र सिंह, निरीक्षक पुलिस, साईबर पुलिस स्टेशन, जयपुर ने संगठित अपराधों के अनुसंधान में सैल फोन, इन्टरनेट, सी.डी.आर. विश्लेषण एवं कम्प्यूटर का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रथम दिन के तृतीय एवं अन्तिम सत्र में श्री रमेश चन्द शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आर्थिक अपराधों के उभरते ट्रेंड एवं संगठित अपराधों से आर्थिक अपराधों के संबंधों पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए केस स्टडीज के माध्यम से उनसे निपटने एवं अनुसंधान के संबंध में व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रथम सत्र में श्री नीरज माथुर, प्रबन्धक, फॉड इन्वेस्टीगेशन, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर ने केस स्टडीज के माध्यम से बैंक से सम्बन्धित साईबर अपराधों में

साक्ष्यों का संकलन किस प्रकार किया जावे, इस पर विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय सत्र में श्री मनप्रीत सिंह, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, चण्डीगढ़ ने ए.टी.एम./क्रेडिट/डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के कारण, समाधान एवं उभरते हुए साईबर अपराधों के ट्रेंड के सम्बन्ध में अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, निरीक्षक पुलिस, आर.पी.ए. ने ड्रग तस्करी से सम्बन्धित प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही एवं आर्थिक अनुसंधान के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। अन्तिम सत्र में श्री गिरवर सिंह, सेवानिवृत आर.टी.एस. ने भूमि संबंधी अपराध प्रकरणों में अनुसंधान अधिकारी द्वारा ध्यान रखी जाने वाली बातों पर चर्चा की तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में विस्तृत चर्चा की।

तीसरे दिन के प्रथम सत्र में श्री विवेक श्रीवास्तव (आई.आर.एस.) संयुक्त निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, राज. जयपुर ने मल्टीलेवल मार्केटिंग, चिट फण्ड एवं मनी सर्कुलेशन सम्बन्धी धोखाधड़ी के मामलों में अनुसंधान विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। द्वितीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए. ने मानव तस्करी एवं व्यावसायिक देह शोषण (महिला एवं बच्चे) विषय पर विस्तृत रूप से बताया। तृतीय एवं अन्तिम सत्र में श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत अतिरिक्त निदेशक, एफ.एस.एल. ने संगठित अपराधों में डॉक्यूमेंट एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन किस प्रकार किया जाये जिससे अनुसंधान को प्रभावी बनाया जा सके, इस पर विस्तृत चर्चा की।

चौथे दिन प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री मदनमोहन अत्रे, सेवानिवृत महानिरीक्षक पुलिस ने संगठित गैंग द्वारा हिंसात्मक सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाही को केस स्टडीज के माध्यम से बताया एवं संगठित एवं धोखाधड़ी सम्बन्धी अपराधों में एफ.आई.आर., गिरफ्तारी से सम्बन्धी नवीन संशोधनों पर विस्तृत व्याख्या की। तृतीय सत्र में श्री विकास पाठक (आई.पी.एस.), डीसीपी(क्राईम) आयुक्तालय, जयपुर ने अपहरण, फिरौती, राजमार्गों पर लूट आदि विषय पर केस स्टडीज के माध्यम से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। अंतिम सत्र में श्री सिद्धार्थ डचलवाल, सहायक प्रबन्धक, सेबी ने वित्तिय मामलों में किये जाने वाले अन्वेषण एवं पी.एम.एल.ए. व फेमा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन प्रथम सत्र में श्री शांतनु कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस. जयपुर ने राजस्थान में संगठित अपराधियों में गैंगवार व ऐसे अपराधों पर नियंत्रण हेतु अपराध रिकॉर्ड की उपयोगिता के बारे में बताया। अन्तिम सत्र में डॉ. सुमन राव, अभियोजन अधिकारी, आर.पी.ए. ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं केस स्टडीज के माध्यम से संगठित अपराधों में अनुसंधान अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में आपराधिक विधि के सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 23.12.2016 को 02.30 पी.एम. पर कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार शर्मा, आई.पी.एस., उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार  
उप अधीक्षक पुलिस,  
कोर्स डायरेक्टर  
आर.पी.ए., जयपुर।